भारत सरकार

कृषि मंत्रालय

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- **10**9**7**

### दिनांक 23 मार्च, 2012 के लिए प्रश्न

विषय : विदेशी जलयानों द्वारा अवैध रूप से मछली पकड़ा जाना

1097 : श्रीमती वसन्‍ती स्‍टान्‍ली:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या सरकार को अनुमति पत्र (एल ओ पी) योजना के अंतर्गत अनन्‍य आर्थिक क्षेत्र (ई.ई.जेड.) में विदेशी जलयानों द्वारा अवैध रूप से मछली पकड़े जाने की जानकारी है;

(ख) सरकार ने एल ओ पी योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्‍या कदम उठाए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र में कितने अवैध विदेशी जलयान पकड़े गये हैं?

**उत्तर**

# **कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री**

(डा0 चरण दास महंत)

(क) से (ग): सरकार भारतीय अनन्‍य आर्थिक क्षेत्र (ई.ई.जेड.) में मत्‍स्‍यन की अनुमति प्रदान करते हुए पात्र भारतीय उद्यमियों को अनुमति पत्र (एल ओ पी) जारी करती है। समुद्री मात्स्यिकी पर अन्‍तरमंत्रालयीय शक्ति प्राप्‍त समिति निर्धारित मानकों एवं दिशानिदेशों के अनुसार अनुमति पत्र प्रदान करने के लिए भारतीय उद्यमियों के प्रस्‍तावों पर विचार करती है और जब और जहां संदर्भित किया जाए व्‍यापक समुद्री मत्‍स्‍यन नीति के किसी अन्‍य पहलू के क्रियान्‍वयन पर सरकार को सलाह देती है। इसके अतिरिक्‍त, सरकार ने अनुमति पत्र (एल ओ पी) जारी करने के लिए मात्स्यिकी संसाधनों की सम्‍भावनाओं को पुनर्वैधीकृत करने, गहरे समुद्र दिशानिदेशों की समीक्षा और मौजूदा प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाने के लिए एक विशिष्‍ट विशेषज्ञ वर्ग/समितियों का गठन किया है। एल ओ पी जारी किए गए किसी भी जलयान को अवैध रूप से मत्‍स्‍यन के लिए तटरक्षक द्वारा पकड़ा नहीं गया है।

.......